# निर्यात अनुभाग से संबंधित योजना

## 1. निर्यात प्रोत्साहन, प्रक्रिया एवं दस्तावेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

योजनान्तर्गत राज्य के ऐसे उद्यमी, जो कि निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों एवं मार्केट की जानकारी के अभाव में अपनी वस्तुओं का निर्यात नहीं कर पाते है, उन्हे वांछित जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्यातकों की क्षमता संवर्धन एवं उन्हें नये बाजारों की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट में से प्रतिवर्ष 7 जिलों को प्रति प्रशिक्षण 75000/– रूपये का बजट आवंटित एवं रिलीज किया जाता है। वर्तमान में इस योजना की अवधि को 31.03.2023 तक आगे बढाया जा चुका है। वर्ष 2020–21 में राज्य के 7 जिलों का चयन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु बजट आवंटित किया गया था। परन्तु कोविड़–19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के परिणामस्वरूप केवल एक जिले में ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संभव हो सका।

## 2. अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शिनियों में भाग लेने हेतु चुकाये गये ग्राउण्ड रेण्ट पर पुर्नभरण योजनाः–

योजनान्तर्गत विदेशों में आयोजित होने वाले अनुमोदित व्यापार मेंलों में भाग लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा चुकाये गये ग्राउण्ड रेण्ट का 30 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपये की दर से पुनर्भरण कराया जाता है ताकि इकाई अधिकाधिक संख्या में इन विदेशी मेलों में भाग लेकर बाजारों की खोज कर सके।

इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 10 लाख रूपये का बजट आवंटित किया जाता है। वर्ष 2020–21 में राज्य की 3 निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा चुकाये गये ग्राउण्ड़ रेंट के लिए कुल 3 लाख रूपये का पुनर्भरण किया जा चुका है।

## 3. राज्य स्तरीय निर्यात पुंरस्कार योजना–2019:–

राज्य सरकार द्वारा निर्यातक इकाइयों एवं सेवा क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं निर्यातकों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रदेश के निर्यातकों को **''राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना''** के अन्तर्गत पुरस्कृत किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्यात प्रोत्साहन एवं निर्यात पुरस्कार हेतु 15 लाख रूपये का बजट आवंटित किया जाता है। वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत पुरस्कृत करने हेतु राज्य से 33 निर्यातकों का चयन किया जा चुका है।

## 4. चैम्पियन सर्विस सैक्टर्स :–

भारत सरकार द्वारा सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने हेतु 12 चैम्पियन सर्विस सैक्टर्स का चयन किया गया है तथा उक्त सेक्टरो के विकास हेतु सम्बन्धित विभागों को नोडल विभाग घोषित किया गया है।

भारत सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित 10 चैम्पियन सर्विस सैक्टर्स का चयन किया गया है तथा सम्बन्धित विभागो को नोडल विभाग धोषित किया गया है।

| S. No. | Department | Sector |
|---|---|---|
| 1. | DoIT | IT & ITeS & Communication Services |
| 2. | Department of Tourism | Tourism, Hospitality & Audio Visual |
| 3. | Department of Medical | Medical & Health(Medical Tourism) |
| 4. | Department of Transport | Transport and Logistics Services |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Department of Law | Legal Services |
| 6. | PWD | Construction and Engineering Services |
| 7. | Department of Forest & Environment | Environmental Services |
| 8. | Department of Education | Education Services |
| 9. | Finance Department | Accounting Services |
| 10. | Finance Department | Finance Services |

भारत सरकार द्वारा सर्विस सेक्टर के विकास हेतु 5000 करोड रूपये का फण्ड तैयार किया गया है। राज्य सरकार के उपरोक्त विभागों को अपने–अपने सर्विस सेक्टर के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

## 5. पैकेजिंग सेक्टर :–

वर्तमान परिदृश्य में घरेलू एवं वैश्विक बाजार में पैकेजिंग उद्योग के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार के वाणिज्य विभाग ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान (Indian Institute of Packaging) के माध्यम सें देश के प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा चयनित शीर्ष पाँच उत्पादो के लिये पैकेजिंग के प्रोटोटाईप डिजाइन में प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है।

उक्त क्रम में राज्य से निम्नांकित प्रमुख क्षेत्रो का चयन किया गया है–

- Handicrafts
- Agriculture and Food Products
- Drugs and Pharmaceuticals
- Textile and Readymade Garments
- Chemicals and allied products
- Gems and Jewellery

## 5. एक जिला एक उत्पाद योजनाः–

**''एक जिला–एक उत्पाद''** योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करना है। योजनान्तर्गत देश के विभिन्न जिलों की निर्यात संभाव्यता की समीक्षा कर निर्यात योग्य उत्पादों के चयन के उपरांत उनके निर्यात में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्यात में वृद्धि के लिए उचित प्रयास किये जाने है।

योजनान्र्तगत राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये गये हैः–

- **जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन समिति (DLEPC):–** जिला स्तर पर निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने, जिले से निर्यात होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, जिला स्तरीय कार्ययोजना के निर्माण एवं जिला स्तर पर निर्यातकों को पर्याप्त मात्रा एवं सही समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य के **सभी 33 जिलों द्वारा DLEPC का गठन किया जा चुका है एवं समस्त जिलो द्वारा इसकी प्रथम बैठक का आयोजन भी किया जा चुका है।**

- **निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट (EPS):–** राज्य के प्रत्येक जिले को वहाँ मौजूद वर्तमान निर्यात ढ़ाँचे यथा– औद्योगिक इकाईयाँ, निर्यात इकाईयाँ, जिले में प्रमुखता से उत्पादित वस्तुओं, निर्यातकों के लिए उपलब्ध वित्तीय सुविधाओं को आधार बनाकर एक

व्यापक संभाव्यता सर्वेक्षण करने तथा इस आधार पर निर्यात योग्य वस्तुओं का चयन करने हेतु समस्त जिलों को निर्देशित किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में राज्य के समस्त जिलों द्वारा **EPS** रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।

- **जिला स्तरीय निर्यात कार्ययोजना (District level Export Plan):–** ''एक जिला–एक उत्पाद'' योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जिलों को चयनित उत्पाद के निर्यात में आ रही समस्याओं एवं उनके निराकरण तथा आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के सम्बन्ध में राज्य के समस्त जिलो द्वारा जिला स्तरीय निर्यात कार्ययोजना (District level Export Plan) तैयार कर ली गई है।

## 6. राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (REPC)

निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करनें तथा राज्य की विभिन्न निर्यातक इकाईयों एवं सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्धेश्य सें राज्य स्तर पर राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (REPC) का गठन दिनांक 8.11.2019 को किया जा चुका है। वर्तमान में परिषद् के गवर्निंग बोर्ड का गठन प्रक्रियाधीन है।

## 7. राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् (REPCC):–

निर्यातको एवं राज्य सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने हेतु ''**राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद** (REPCC) का गठन दिनांक 25.10.2019 को किया जा चुका है। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 17.02.2020 को आयोजित की जा चुकी है।

## ❖ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:–

- राज्य का वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल वस्तु निर्यात मुल्य 52764.31 करोड़ रू रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विपरित आर्थिक परिस्थितियो के बावजूद भी राज्य के **निर्यात मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 5.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।**

- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा जारी Leads (Logistics Ease Across Different State) Report 2019 में राजस्थान **12 वें** स्थान पर रहा है।

- नीति आयोग द्वारा राज्यों की निर्यात तैयारी सूचकांक के आधार पर रैंकिंग निर्धारित करने हेतु वर्ष 2020 के लिए दिनांक 26.08.2020 को **Export Preparedness Index-2020** की रिपोर्ट एवं स्कोर जारी किये गए थे। E.P.I में **राजस्थान राज्य 62. 59 के स्कोर के साथ लैण्ड–लॉक्ड स्टेट्स की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा एवं overall ranking में चौथे स्थान पर रहा है।**

- राज्य में लाजिस्टिक क्षेत्र का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर **Ware House and Logistics Policy** तैयार की जा रही है।

- प्रदेश में निर्यात को बढावा देने हेतु निर्यातको की भावी आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर **RAJASTHAN EXPORT PROMOTION STRATEGY 2021-22** तैयार की जा रही है।

**बजट प्रावधानः–**

वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्यात अनुभाग से संबंधित योजनाओं हेतु आवंटित बजट का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र. सं. | योजना का नाम | Budget Head | आवंटित बजट राशि (लाख रूपये में) |
|---|---|---|---|
| 1. | राज्य स्तरीय निर्यात पुंरस्कार योजना एवं निर्यात प्रोत्साहन, प्रक्रिया एवं दस्तावेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | 2852-80-102-13-00-29<br>2852-80-102-13-00-42<br>2852-80-789-15-00-29<br>2852-80-789-15-00-42<br>2852-80-796-16-00-29<br>2852-80-796-16-00-42 | 15.00 |
| 2. | अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शिनियों में भाग लेने हेतु चुकाये गये ग्राउण्ड रेण्ट पर पुर्नभरण योजना | 2851-00-104-11-00-12<br>2851-00-789-13-00-12<br>2851-00-796-13-00-12 | 10.00 |
| 3. | Loan to Rajasthan Export Promotion Council | 7453-00-190-01-01 | 25.00 |